फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

छोटू वगै0 बनाम सरकार वगै0

मुकदमा नं0 :– 15/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1/1 रकबा 0.4173है0 ग्राम गुढना (गोडियाना), पटवार हल्का सामेरड कलां, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि के लगवा ही खसरा नम्बर 1/2 अप्रार्थीगणों की कृषि भूमि है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से व उनके बाद से आज दिन तक अपनी उपरोक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि का हाल सेटलमेंट में जो नवीन नक्शा कायम किया गया है वह सेटलमेंट कर्मचारियों ने लिपिकीय भूल करते हुये पूर्व नक्शें के विपरित जाकर नवीन नक्शा कायम किया है। अतः प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हाल खसरा नम्बर 1/1 के नवीन नक्शें को दुरूस्त कर पूर्व नक्शें अनुसार कायम करने के आदेश फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भूमि खसरा नम्बर 1/1 को पूर्व नक्शें अनुसार कायम करवाने हेतु पेश किया है। जबकि वर्तमान नक्शा व एकीकरण क के पश्चात का नक्शे मे कोई अन्तर नही है। प्रार्थीगण मौके अनुसार दुरूस्त करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगणो का नक्शा दुरूस्तनीय योग्य नही है। अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अतः वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं मनन करने तथा पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक रिपोर्ट ग्राम गोडियाना के खसरा नम्बर 1/1 रकबा 0.4173है0 का मौका व नक्शा अलग है। प्रार्थी का कब्जा पश्चिम दिशा की तरफ ग्राम टोडामीणा की सीमा से लगवा है। वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शा व एकीकरण नक्शा समान होने पर नक्शा दुरूस्तनीय योग्य नही होना तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर	